

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,  
टिहरी वन प्रभाग,  
नई टिहरी।


फोन/फैक्स : 01376-232077,  
ईमेल :  
dfotehri\_ua@rediffmail.com

पत्रांक :  
सेवा में

/ 12-1 नई टिहरी,

दिनांक-

28/04/2023



विषय:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून

जनपद-टिहरी गढ़वाल मे प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में  
मैगाधार—आली—सर्लण मोटर मार्ग का चौरा, करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकण कार्य हेतु  
4.41 हॉ 0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।  
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—8वी/यू.सी.पी.  
/ 06 / 43 / 2020 / एफ.सी./ 100, दिनांक—28.04.2023।

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से आपत्तियों इंगित करायी गयी थी। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है:

क्रम सं०	बिन्दु संख्या	अभियुक्ति
1	Amount deposited for the CA scheme is Rs. 29,73,963/-, which is more than the proposed amount. The State Government is requested to submit the revised CA scheme as per the deposited amount.	संशोधित वृक्षारोपण योजना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-01)
2	<p>On the perusal of satellite imagery it is observed that there is deviation between the actual alignment on which road is constructed and the alignment submitted as per the KML file. A detailed report regarding the following aspects is required to be submitted:</p> <p>i) Whether the road is constructed on the alignment demarcated on the ground and as per which tree enumeration was carried out? if yes, the reasons for the difference with the alignment submitted with the KML is required to be submitted.</p> <p>ii) If the road is not constructed as per the alignment demarcated on the ground and as per which the tree enumeration was carried out. The detailed violation report is required to be submitted.</p>	<p>बिन्दु संख्या के अनुपालन हेतु प्रभाग स्तर पर समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रेषित जॉच आख्या के अनुसार के०एम०एल० फाईल के अनुसार भूमि पर जॉच में कोई भी वृक्ष छपा हुआ अथवा पातित नहीं पाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि के०एम०एल० फाईल में दर्शाए गए सरेखण में तथा संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित सरेखण में तकनीकी त्रुटि के कारण भिन्नता है किन्तु मोटर मार्ग वास्तविक रूप से उसी सरेखण में काटा गया है जिसका संयुक्त निरीक्षण किया गया था। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न)</p>

अतः प्रकरण पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या समस्त संलग्नको सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

संख्या : 447 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-I, पीएमजीएसवाई, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

कायालिय : प्रशागीय वनाधिकारी,  
टिहरी वन प्रशाग,  
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

फैक्स :

[dfotehri\\_ua@rediffmail.com](mailto:dfotehri_ua@rediffmail.com)

पत्रांक : ८२ / १२-।  
रोता में,

नई टिहरी, दिनांक— ०२/०७/ 2022

वन संरक्षक,  
भागीरथी घृत्ता, उत्तराखण्ड,  
मुनिकीरेती।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार-आली-सरुणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु रटील गर्डर सेतु, सहित निर्माण कार्य हेतु ४.११ है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/38456/2019)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं०-०८वी/यू०सी०पी०/०६/४३/२०२०/एफ०सी०/१३६१, दिनांक:-२९-०९-२०२०, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलानी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक:-१०९४/FP/UK/ROAD/38456/2019, दिनांक:-०९-१०-२०२० एवं अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-१, नई टिहरी का पत्रांक-१२६४/पी०एम०जी०एस०वाई० सं०ख०-१, दिनांक-२०.०६.२०२२।

महोदय,

जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार-आली-सरुणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु रटील गर्डर सेतु, सहित निर्माण कार्य हेतु ४.११ है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कठिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आव्याप्त होता है:-

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन आव्या
१	शर्त संख्या-०१ के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
२	शर्त संख्या-०२ के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
३	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ८.८२ है० सिविल सोयम भूमि ग्राम सरुणा खसरा सं०-८८३,८९७,८८१,८७१,२०६७,२१५६ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानी स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकत्र प्लांटेशन से बचें।  (ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(क) प्रत्यावर्ति भूमि के बदले ८.८२ है० भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० २९,७३,९६३.०० (उन्तीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ तिरसठ रुपये मात्र) जमा करा दिये हैं। (चालान की छाया प्रति संलग्न)(संलग्नक-०१)  (ख) शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने आदेश पत्र सं०-१६१/XI-२५(२०२०-२१), दिनांक:-२०-०१-२०२२ से ग्राम-सरुणा, तहसील-धनसाली, पट्टी- ग्यारहगांव की सिविल भूमि ८.८२ है० खाता सं०-२९ खसरा नं०-१९८३म०, ८७९, ८८१, ८७१, २०६७, २१५६ को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/इन्द्राजी कर दिया है। सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा भूमि को कब्जे में लेकर भूमि को कब्जे में लिए जाने का प्रमाण-पत्र, अमल दरामद मय नक्शा, खसरे का सलंगन है। खसरा संख्या-८८३,८९७ का १९८३म०, ८७९ में शुद्धिकरण जिलाधिकारी द्वारा अपने उक्त आदेश में किया गया है। (संलग्नक-०२)

	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-03)
4	शर्त संख्या-4 में (क)-एन०पी०वी० की धनराशि रु० 37,26,450.00 (सैन्तीस लाख छवीस हाजर चार सौ पचास रुपये मात्र) प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल करेगी।  (ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की दर में अगर बढ़ोतरी होगी है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शर्त संख्या-4 में (क)-एन०पी०वी० की धनराशि रु० 37,26,450.00 (सैन्तीस लाख छवीस हाजर चार सौ पचास रुपये मात्र) जमा करा दिये गये है। (चालान की छाया प्रति संलग्न)।(संलग्नक-01)  (ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की दर में अगर बढ़ोतरी होगी है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न है।(संलग्नक-04)
5	शर्त संख्या-5 में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 669 (including 97 saplings) वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या-5 में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6	शर्त सं०-०६ के अनुपालन में State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त संख्या-6 में छपान आदेश इस कार्यालय के पत्रांक-1726 / 12-1, दिनांक-19.02.2021 से जारी किया गया है।(संलग्नक-05)
7	शर्त संख्या-7 में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फड़ में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त संख्या-7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वार एन०पी०वी० एवं अन्य वाछित धनराशि के ऑन लाईन चालान सत्यापन के पश्चात ई-पोर्टल <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फड़ में स्थानान्तरित/जमा किया गया है। (चालान की छाया प्रति संलग्न)।(संलग्नक-01)
8	शर्त संख्या-8 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए० 2006 का पूर्णतः अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।(संलग्नक-6)
9	शर्त संख्या-9 के अनुसारे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियम साईनेज लगाये जाएंगे।	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	शर्त सं०-१० के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	शर्त सं०-११ के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त सं०-११ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	शर्त सं०-१२ के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर रथापित नहीं किये जाएंगे।	शर्त सं०-१२ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्नक-7)

	शर्त सं0-13 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक इंधन के किसी अन्य स्रोत से प्राप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इंधन दिया जाएगा।	शर्त सं0-13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	शर्त सं0-14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार किया जाएगा।	शर्त सं0-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	शर्त संख्या-15 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	शर्त सं0-16 के अनुपालन में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	शर्त संख्या-17 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	शर्त संख्या-18 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्नक- 08)
19	शर्त संख्या-19 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि उक्त शर्तों का उल्लंघन किया जायेगा तो वह वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या-11-42 / 2017-FC, दिनांक-29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्नक- 09)
20	शर्त संख्या-20 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर जो शर्त निर्धारित की जायेगी, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या-20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	शर्त संख्या-21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त संख्या-21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक- 10)

	शर्त संख्या—22 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रकार प्रस्ताव लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या—22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	शर्त संख्या—23 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त संख्या—23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूपीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी तीन प्रतियों में मय संलग्नक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
टिहरी वन प्रभाग,  
नई टिहरी

संख्या : ३२      /12-1      तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड- ।, नई टिहरी को आपके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।